5-11-16 आवेदक उभय-पक्ष उपस्थित।

बहस प्रा० पत्र O-5 R-13 CPC सुनी गई। आवेदक प्रार्थी (प्रतिवादी) ने कथन किया कि प्रार्थीगण को वादपत्र के समन विधिवत् रूप से तामील नहीं हुए है। रजिस्टर्ड A.D नोटिस बाद तामील प्राप्त नहीं होकर इंकार से लौट कर आये हैं, ये नोटिस वास्तविक रूप से अप्रार्थीगण को प्राप्त नहीं हुए हैं। इंकार की रिपोर्ट सही नहीं है। अत: प्रा० पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण (प्रतिवादीगण) को

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) आमेर मु., जयपुर

फर्द अहकाम

कैलाश बनाम रामप्यारी

...म न्यायालय ACJM (FT) Amer

...स संख्या App. 0-9-R-13 24/16

...म संख्या	दिनांक आक्षा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		प्रकरण में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जावे। अधिवक्ता अप्रार्थी (वादी) ने आपत्ति की कि प्रार्थीगण को रजिस्टर्ड A.D. नोटिस जारी किये गये थे जिन्हें उन्होंने लेने से इंकार कर दिया गया था। शेष प्रतिवादीगण भी ~~[illegible]~~ प्रार्थीगण के परिवार के सदस्य हैं। शेष प्रतिवादीगण ने वादपत्र में जवाब दावा पेश किया गया था एवं तत्पश्चात वादीगण से राजीनामा भी किया था। अतः यह कतई संभव नहीं है कि प्रार्थीगण को प्रकरण की सूचना (जानकारी) नहीं हो। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र जो वाद-पत्र को लंबित करने के उद्देश्य से पेश किया गया है को खारिज किया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस उभय-पक्ष पर मनन किया गया।

... एवं ... मजिस्ट्रेट
... आमेर नु. जयपुर

फर्द अहकाम

कैलाश बनाम रामप्यारी

ACEM (FT) Amer

App 0-9-R-13 24/16

आक्षा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
	प्रार्थीगण को रजिस्टर्ड A.D नोटिस जारी किये गये थे जो प्रार्थीगण ने लेने से इंकार कर दिया था एवं बीच प्रतिवादीगण जो प्रार्थीगण के ही परिवार के सदस्य एवं सह खातेदार हैं ने वाद पत्र में उपस्थित होकर जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम एवं तत्पश्चात राजीनामा पेश किया है। इसलिए जाहिर है कि प्रार्थीगण को प्रकरण की पूर्ण सूचना थी अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र 0-9-R-13 CPC खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णीत शुमार होकर संलग्न मूल वाद हो।	

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) आमेर मु. जयपुर